

## अध्याय-2 लौह अयस्क का उत्पादन

इस अध्याय में विद्यमान खानों में उत्पादन में गिरावट और नई खानों के विकास में विलम्ब का उल्लेख किया गया है जिससे कम्पनी की उत्पादन योजनाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुईं।

### कॉरपोरेट योजना लक्ष्य एवं उपलब्धि

2.1 कम्पनी ने 2001-2002 से 2009-10 तक नौ वर्षों की अवधि को कवर करते हुए अपनी कॉरपोरेट योजना को सूत्रवद्ध किया (मई 2001)। आगामी वर्षों के लिए कॉरपोरेट योजना को अब तक तैयार नहीं किया गया (मार्च 2012)।

2.2 कॉरपोरेट योजना में निम्न की परिकल्पना की गई :

- 2006-07 तक 25 एमटीपीए तक और 2011-12 तक लगभग 30 से 35 एमटीपीए तक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए; और
- देश के लौह अयस्क उत्पादन में 20 प्रतिशत पर इसके शेयर का रखरखाव करने के लिए। वास्तव में, देश के लौह अयस्क उत्पादन में कम्पनी का शेयर 2005-06 में 14 प्रतिशत से कम होकर 2009-10 में 11 प्रतिशत हो गया। कम्पनी के शेयर में कमी निजी प्रचालकों द्वारा निर्यात के लिए कम कोटि वाले अयस्क उत्पादन में वृद्धि के कारण थी। तथापि, इसका शेयर कर्नाटक में निजी खनन पर प्रतिबन्ध के कारण 2011-12 में 16 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

एनएमडीसी के पास कॉरपोरेट योजना में परिकल्पित 28 एमटीपीए के प्रति 2011-12 तक 32 एमटीपीए की उत्पादन क्षमता थी।

\*\*\*

एनएमडीसी ने घरेलू बाजार में पर्याप्त अयस्क को बेचते हुए 2011-12 में घरेलू माँग के 23 प्रतिशत तक का सृजन किया।

\*\*\*

एनएमडीसी देश के रिज़र्व का लगभग 5.5 प्रतिशत रखती है। इसलिए नए संसाधनों/खानों की प्राप्ति के लिए नीति के निरूपण की आवश्यकता हुई।

2009-10 और 2010-11 के दौरान कम्पनी द्वारा लौह अयस्क का वास्तविक उत्पादन 28.52 एमटी (2008-09) से कम हो कर 23.80 एमटी (2009-10) और 25.16 एमटी (2010-11) हो गया। उत्पादन में कमी मुख्यतः एस्सार की स्लरी पाइपलाइन के टूटने के कारण हुई थी जिसने निकास बाध्याताओं का सृजन किया जैसाकि, अध्याय 3 में चर्चा की गई है। तथापि, निर्यातों को छोड़ते हुए घरेलू अयस्क आपूर्ति में कम्पनी का शेयर 2011-12 में लगभग 23 प्रतिशत था।

2.3 हमने देखा कि कम्पनी को 2007-08 तक 32 एमटीपीए की उत्पादन क्षमता प्राप्त हुई थी और देश में सिद्ध हुए कुल 28,526 एमटी<sup>3</sup> लौह अयस्क रिज़र्व में से 31 मार्च 2011 को 64 % लौह (11 बी के रिज़र्व और कुमारस्वामी डिपॉजिटस जो विकास के अन्तर्गत है को शामिल करते हुए) पर 1,565 एमटी लौह अयस्क रिज़र्व सिद्ध हुआ था। कम्पनी को रिज़र्व उपचय पर अपनी नीति बनाने और लम्बे समय तक प्रचालकों का रखरखाव करते हुए अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत और विदेश में नए खनन क्षेत्रों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

<sup>3</sup> यह 1 अप्रैल 2010 को है जैसाकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्यात पर कार्यकारी समूह रिपोर्ट में दिया गया है।

2.4 इस्पात मंत्रालय (मंत्रालय) ने उत्तर (जुलाई 2012) में बताया कि यह इस तथ्य की जानकारी में है कि इसे निरन्तर आधार पर अपने संसाधन आधार का संवर्धन करने की आवश्यकता है। भारतीय खान ब्यूरो ने 45 प्रतिशत लौह के लिए लौह अयस्क के कट आफ ग्रेड में संशोधन किया जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का पुनःसंवर्धन होगा। निम्न कोटि के लौह अयस्क के परिष्करण से लौह की मात्रा में वृद्धि हुई और जो निम्न कोटि के अयस्क को विक्रययोग्य बनाता है। कम्पनी ने छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, निदेशक खान एवं भूविज्ञान (डीएमजी), झारखंड सरकार एवं झारखंड खनिज विकास निगम, आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम और खनिज डिपॉजिटस के अन्वेषण एवं उपयोग के लिए डीएमजी आन्ध्र प्रदेश के साथ सहमति ज्ञापन/शेयरहोल्डिंग संयुक्त उद्यम करार (एसजेवीए) पर हस्ताक्षर किए। कम्पनी ने लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड आस्ट्रेलिया में 50 प्रतिशत शेयर प्राप्त किया जिनके लौह अयस्क संसाधन एमटी बीवेन आयरन ओर टीनेमेंट आस्ट्रेलिया में 60 प्रतिशत ब्याज के बराबर होने थे जिनके पास 30.2 प्रतिशत मंगनेटाइट लौह अयस्क के लगभग 1.5 बिलियन के संसाधन थे। कम्पनी ब्राजील, अफ्रीका, रूस आदि में विभिन्न अन्य लौह अयस्क और कोयला खानों की भी खोज कर रही है और वे उचित कर्मिष्टता के विभिन्न स्तरों में हैं।

2.5 लेखापरीक्षा में यह नोट किया गया कि कम्पनी विदेश में खानों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है लेकिन किसी भी विशिष्ट नीति (प्राप्त की जाने वाली रिज़र्वों की मात्रा, चिन्हित किए जाने वाले संसाधनों आदि को दर्शाते हुए) को सूत्रबद्ध नहीं किया गया। यह भी नोट किया गया कि वर्तमान में कम्पनी द्वारा किए गए सभी ठेके 64 प्रतिशत लौह और उससे अधिक के लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए थे।

#### **सिफारिश #1**


**कम्पनी को नई खानों/ रिज़र्वों के प्राप्त करने के लिए अपनी योजनाओं को निर्धारित करते हुए एक नीति को सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है।**

2.6 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को नोट किया (जुलाई 2012) और बताया कि कम्पनी को अपने संसाधन आधार को बढ़ाने और नये संसाधनों की प्राप्ति के लिए अपनी योजनाओं को पुनः मूर्त रूप देना होगा।

#### **प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन में गिरावट**

2.7 लेखापरीक्षा में यह नोट किया गया था कि कम्पनी मुख्यतः निकास बाध्याताओं (पूर्णतः अपने उत्पादन का निकास करने के लिए अपर्याप्त सुविधाएं) के कारण सामान्यतः अपने लक्ष्यों को अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से कम निर्धारित कर रही है। मार्च 2012 को समाप्त पिछले सात वर्षों के लिए कम्पनी के वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

चार्ट 1: वास्तविक उत्पादन की तुलना में योजनागत वार्षिक उत्पादन



तालिका 1: मार्च 2012 को समाप्त पिछले सात वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा प्रतिष्ठापित क्षमता, वार्षिक उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन को दर्शाते हुए तालिका

(एमटी में)

ब्यौरा	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रतिष्ठापित क्षमता-यथार्थ*	24.22	25.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
वार्षिक उत्पादन लक्ष्य <sup>4</sup>	24.45	26.90	29.60	33.12	29.90	24.60	24.00
वास्तविक उत्पादन	22.92	26.23	29.82	28.52	23.80	25.16	27.26
वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों के प्रति वास्तविक उत्पादन की प्रतिशत ता	94	98	101	86	80	102	114
यथार्थ- प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रति वास्तविक उत्पादन की प्रतिशत ता	95	105	93	89	74	79	85

\* यद्यपि प्रतिष्ठापित क्षमता को औपचारिक रूप से कम्पनी द्वारा मात्र 2009-10 में संशोधित किया गया था फिर भी लेखापरीक्षा ने यथार्थ प्रतिष्ठापित क्षमता पर पहुँचने के लिए वर्ष 2005-06 से 3 एमटी की अतिरिक्त क्षमता को जोड़ा क्योंकि कम्पनी ने स्वयम् 2005-06 में डोनीमलाई पर तीसरी शिफ्ट और चौथी लाइन को प्रारम्भ किया था।

2.8 जैसाकि उपर्युक्त से देखा जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि उत्पादन लक्ष्य निरपवाद रूप से प्रतिष्ठापित क्षमता से कम थे फिर भी मार्च 2012 को समाप्त सात वर्षों में से चार में कम्पनी अपने निजी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। 2009-10 में एस्सार स्टील लिमिटेड की स्लरी पाइपलाइन जो अप्रत्याशित थी में क्षति हुई थी।

<sup>4</sup> जैसाकि कार्यकारी निदेशकों और परियोजनाओं के अध्यक्षों साथ सीएमडी द्वारा आयोजित वार्षिक कॉर्पोरेट बैठकों में नियत किया गया।

### क्षमता विस्तार में गिरावट

2.9 कम्पनी ने डोनीमलाई खान के प्रतिस्थापन के रूप में कुमारस्वामी परियोजना के विकास का प्रस्ताव दिया (जनवरी 1997)। जनवरी, 2003 में कम्पनी ने बेलाडिला क्षेत्र में 2006 -07 तक 7.80 एमटी लौह अयस्क की मांग और आपूर्ति में अनुमानित गिरावट पूरी करने के लिए छत्तीसगढ़ में डिपॉजिट 11 बी को पुनः विकसित करने का प्रस्ताव दिया। 14 एमटीपीए की प्रत्याशित क्षमता को जोड़ने के लिए ये परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन के अन्तर्गत हैं जिन्होंने बहुत विलम्ब और दोषपूर्ण परियोजना प्रबन्धन दर्शाया। इन खानों के विकास से संबंधित मामलों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

एनएमडीसी ने 1997 में कुमारस्वामी डिपॉजिट को विकसित करने का निर्णय लिया। 7 एमटीपीए की प्रत्याशित क्षमता को जोड़कर यह परियोजना मार्च 2012 को अभी कार्यान्वयन के अन्तर्गत थी।

\*\*\*

कुमारस्वामी परियोजना का कार्यान्वयन मुख्यतः सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब के कारण मात्र फरवरी 2009 के पश्चात ही रोका जा सका।

\*\*\*

₹ 296.03 करोड़ की प्रारम्भिक परियोजना लागत 3 एमटीपीए से 7 एमटीपीए तक क्षमता के संशोधन और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन (₹ 320 करोड़) और सामान्य कीमत के बढ़ने (₹ 282.52 करोड़) के कारण ₹ 898.55 करोड़ तक बढ़ गई है।

### कुमारस्वामी डिपॉजिट

2.10 कर्नाटक में कम्पनी की डोनीमलाई डिपॉजिट के पास 7 एमटीपीए की क्षमता है जिसे 2012-13 तक समाप्त किया जाना था। इसलिए, बोर्ड ने डोनीमलाई लौह अयस्क खान के प्रतिस्थापन के रूप में - कर्नाटक में दोनो बेल्लारी जिला में-डोनीमलाई के समीप स्थित कुमारस्वामी डिपॉजिट को विकसित करने का अनुमोदन प्रदान किया (जनवरी 1997)। कुमारस्वामी खान को 3 एमटीपीए की प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता प्राप्त करनी थी जिसे डोनीमलाई खान में रिज़र्व समाप्त हो जाने पर 7 एमटीपीए तक बढ़ाया जाना था। स्ट्रिकनिंग प्लान्ट, सुविधाओं से कम और नगर क्षेत्र जैसी डोनीमलाई खान की सुविधाओं को शेरर करते हुए कुमारस्वामी डिपॉजिट को विकसित करने का प्रस्ताव था।

2.11 मेकॉन को जुलाई 2006 में दिए गए परामर्शी ठेका के अनुसार कुमारस्वामी डिपॉजिट को अक्टूबर 2009 तक पूरा किया गया बताया गया था। परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है (मार्च 2012) और जनवरी 2013 तक पूरी होने के लिए नियत है। कुमारस्वामी परियोजना के पूरा होने में विलम्ब और परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के परिणामस्वरूप परियोजना लागत को ₹ 296.03 करोड़ (अप्रैल 2003) से संशोधित करके ₹ 898.55 करोड़ (दिसम्बर 2010) कर दिया गया था। कारण कि परियोजना को समय में पूरा न करने के कारण का लेखापरीक्षा में विस्तृत रूप में विश्लेषण किया गया था। निष्कर्षों का नीचे उल्लेख किया गया है।

## सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब

2.12 यद्यपि, बोर्ड ने परियोजना का अनुमोदन जनवरी 1997 में कर दिया था फिर भी कम्पनी जुलाई 1999<sup>5</sup> में मात्र दृढ़ वन अनुमति के लिए आवेदन कर सकी। वन अनुमति में वन भूमि के 341.20 हेक्टेयर का विपथन शामिल था। आवेदन करने के लिए लिया गया समय खान के लिए "भूमि उपयोग पैटर्न" को अन्तिम रूप देना बताया गया था जिसे वन अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

2.13 वन अनुमोदन के लिए कम्पनी का आवेदन पत्र अन्तिम अनुमोदन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा भेजा जाना अपेक्षित था। तथापि, इसी बीच, कर्नाटक सरकार (जीओके) को एमओईएफ से यह पूछते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ था (अगस्त 2001) कि जब तक नवीनीकरण के लिए नीति दिशानिर्देशों का सुझाव देने अथवा बेल्लारी-होस्पेट क्षेत्र में नए खनन पट्टों के प्रदान करने के लिए खान मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती तब तक एमओईएफ बेल्लारी जिला में वन भूमि के विपथन के लिए खनन पट्टे का कोई नया अथवा नवीनीकरण प्रस्ताव प्रेषित नहीं करेगा। परिणामतः जीओके ने एनएमडीसी का प्रस्ताव एमओईएफ को प्रेषित नहीं किया सितम्बर 2001 में, खान विभाग के अतिरिक्त सचिव ने एक बैठक का आयोजन किया और 31 जनवरी 2002 तक बेल्लारी-होस्पेट क्षेत्र के तीव्र क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (ईआईए) अध्ययन करने के लिए जीओके से कहा था। जॉब राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्था, नागपुर (नीरी) को सौंपा गया था।

2.14 इसी बीच, कम्पनी और मंत्रालय ने एमओईएफ को एनएमडीसी का आवेदन पत्र प्रेषित करने के लिए कर्नाटक सरकार को राजी करने के प्रयास किए। इस्पात के लिए इस्पात मंत्रालय से पत्र के उत्तर में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2002) कि एनएमडीसी को क्षेत्रीय ईआईए अध्ययन की परिधि से बाहर नहीं किया जा सकता।

2.15 नीरी ने 29 सितम्बर 2002 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके पश्चात फरवरी 2003 में एमओईएफ ने वन भूमि परिवर्तन के मामलों को उसे अग्रेषित करने की अनुमति कर्नाटक सरकार को दी। इसके बाद भी कर्नाटक सरकार ने प्रार्थना पत्र एमओईएफ को अग्रेषित करने में भी दो वर्ष लगा दिए जो कि आखिरकार फरवरी 2005 में एमओईएफ को भेज दिया गया।

- हालांकि एनएमडीसी ने फरवरी 2003 में कर्नाटक सरकार से उसका प्रार्थना पत्र एमओईएफ को तुरन्त अग्रेषित करने का अनुरोध किया था, कर्नाटक सरकार के वन पर्यावरण तथा भूविज्ञान के अवर सचिव ने जनवरी 2004 में वन विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक को लिखे पत्र लिखकर सूचित

<sup>5</sup> पहले कम्पनी ने वन भूमि के 265.15 हेक्टेयर के विपथन के लिए आवेदन किया था (अगस्त 1998) लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया क्योंकि भूमि उपयोग ब्योरों को दृढ़ता से निकाला नहीं गया था। तदनन्तर खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 278.35 हेक्टेयर और खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 64.725 हेक्टेयर के लिए संशोधित आवेदन पत्र फरवरी 1999 में प्रस्तुत किया गया था। तदनन्तर इन्जीनियरिंग सर्वेक्षण ब्योरों के आधार पर संशोधित क्षेत्र निकाला गया और अनुमति एक दृढ़ वन आवेदन पत्र खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 324.70 हेक्टेयर और खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 16.50 हेक्टेयर अर्थात् कुल 341.20 हेक्टेयर के लिए जुलाई 1999 में प्रस्तुत किया गया था।

किया कि प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात कर्नाटक सरकार ने पाया कि एनएमडीसी के प्रस्ताव पर विचार सम्भव नहीं था। पत्र में कोई कारण नहीं दिया गया था।

- हालांकि कम्पनी के प्रार्थनापत्र को भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को अस्पष्टीकृत कारणों के लिए अग्रेषित नहीं किया गया था, 15 मार्च 2003 को कर्नाटक सरकार द्वारा 11620 वर्ग किलोमीटर को निजी खनन हेतु अनारक्षित करने जो कि अन्यथा सार्वजनिक क्षेत्र हेतु राजकीय उपयोग /उत्खनन हेतु थी की अधिसूचना जारी की गई। दिसम्बर 2008 की लोकायुक्त की रिपोर्ट से निम्नलिखित अंश इससे सम्बन्धित है।

"सरकार ने दिनांक 15.03.2003 की अपनी दोनों अधिसूचनाओं सं. सीआई 16 एमएमएम 2003 तथा सं. सीआई 33 एमएमएम 1994 के द्वारा क्रमशः राजकीय उपयोग/ सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्खनन योग्य राज्य के 11,620 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को निजी क्षेत्र हेतु अनारक्षित कर दिया तथा प्रमुख कच्चे लौह वाली भूमि का 6,832.48 हेक्टेयर क्षेत्र की वापसी अधिसूचित की, जोकि सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का बिना उनकी व्यवसायिक या तकनीकी अथवा व्यापारिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखे चयनित निजी व्यक्तियों/ सत्त्वों को सवितरित करने का रास्ता तैयार करना था।

पूरी प्रक्रिया इस ढंग से की गई थी ताकि लाभ केवल चयनित कुछ लोगों/सत्त्वों को ही प्राप्त हो। अनारक्षण के मुख्य उद्देश्य अर्थात् निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करने हेतु खनन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, राज्य के खनिज संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु निजी पूंजी तथा व्यावसायिक प्रबन्धन को आकर्षित करने को दरकिनार कर दिया गया था तथा प्रार्थियों को आबंटन उनकी योग्यता से इतर अन्य बातों का ध्यान रखते हुए किए गए थे।"

- कम्पनी ने कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए 12 प्रश्नों/बिन्दुओं पर जवाब भी भेजे (अगस्त 2004)। ये प्रश्न खनन प्रक्रियाओं तथा कम्पनी द्वारा परिणामतयः उठाए जानेवाले कदमों से सम्बंधित थे।
- कर्नाटक सरकार ने आखिरकार फरवरी 2005 में एनएमडीसी के आवेदन को एमओईएफ को भेजा।

2.16 एमओईएफ से वन सम्बन्धी सहमति जुलाई 2006 में प्राप्त हुई। इसी बीच, पर्यावरणीय सहमति भी प्राप्त हो गई थी। (अक्टूबर 2004)। हालांकि जुलाई 2006 में वन सम्बन्धी सहमति उपलब्ध थी, कम्पनी फरवरी 2009 तक अर्थात् कर्नाटक सरकार के वन विभाग से वृक्ष काटने की अनुमति प्राप्त होने के समय तक अपनी परियोजना का कार्यान्वयन नहीं करवा सकी। सम्बंधित घटनाक्रम का विवरण नीचे किया जा रहा है:

- एमओईएफ की वन सम्बन्धी सहमति पर आधार पर, कर्नाटक सरकार ने एक शर्त के साथ कि कम्पनी वन विभाग के साथ एक करार करेगी वन क्षेत्र में कार्य करने की अपनी सहमति जनवरी 2007 में जारी की।
- कम्पनी ने यथासम्भव शीघ्र करार करने की चेष्टा की, परन्तु मंत्रालय लेखापरीक्षा को दिए गए उत्तर के अनुसार मै. डक्कन माइनिंग सिन्डिकेट प्राइवेट लिमिटेड (डीएमएसपीएल) ने हस्तक्षेप किया और बल्लारी के वन प्राधिकारियों को सूचित किया कि एनएमडीसी के अदालतों में मामले

लम्बित<sup>6</sup> थे तथा सम्बद्ध प्राधिकारणों से कोई वन करार नहीं किया जाना चाहिए। बल्लारी वन प्राधिकारियों ने वन करार को करना लम्बित रखा।

- उच्च न्यायालय ने मामलों को एनएमडीसी के पक्ष में करके निपटाया (मार्च 2008)। इसके बाद कम्पनी के अधिकारियों ने वन विभाग के अधिकारियों से वृक्षों की गणना तथा वृक्ष काटने की अनुमति के बारे में सम्पर्क किया। वन विभाग से अनुमति फरवरी 2009 में प्राप्त हुई।

2.17 आगे दिए गए विवरण वर्णन करते हैं कि कैसे कम्पनी जुलाई 1999 में वन सम्बन्धी सहमति हेतु आवेदन करने के पश्चात फरवरी 2009 तक संवैधानिक सहमतियां पाने में विलम्ब के कारण परियोजना को कार्यान्वित करना प्रारम्भ नहीं कर पाई। इन विलम्ब से सफल परियोजना में व्यापक रूप से विलम्ब हुआ तथा फलस्वरूप परियोजना में भारी अतिव्यय हुआ।

### सलाहकार की नियुक्ति

2.18 इसी बीच कम्पनी ने अभियान्त्रिकी ठेका, अधिप्राप्ति सेवाओं, परियोजना प्रबन्धन तथा निर्माण प्रबन्धन सेवाओं (ईपीसी) हेतु सलाहप्रदाता सेवाओं के लिए सलाहकार के चयन की प्रक्रिया दिसम्बर 2005 में प्रारम्भ कर दी थी। जुलाई 2006 में कम्पनी ने वन सम्बन्धी सहमति पाने के तुरन्त बाद ₹ 7.70 करोड़ की लागत पर ईपीसी सलाहकार के रूप में एक सीमित निविदा जांच उपरान्त मेकॉन की नियुक्ति की। हांलाकि बोर्ड द्वारा ₹ 296.03 करोड़ की परियोजना लागत वाली मूल डीपीआर अप्रैल 2003 में अनुमोदित हुई थी। पर्यावरण तथा वन सम्बन्धी सहमति प्राप्ति होने में हुए अतिविलम्ब के मद्देनजर यह अप्रसांगिक हो गई थी। परामर्शदाता करार (जुलाई 2006) के अनुसार परियोजना को 39 महीनों अर्थात् अक्टूबर 2009 तक पूरा किया जाना था। वन सम्बन्धी सहमति को पाने में हुए विलम्ब के कारण यह समय अवधि भी निरर्थक हो गई थी।

### परियोजना का क्रियान्वयन

2.19 मेकॉन के साथ करार में निम्नलिखित क्रियाएँ उनके सामने दी गई समय सीमा में करने पर विचार किया गया था। क्योंकि वन विभाग के साथ करार पर हस्ताक्षर जुलाई 2008 में किए गए थे लेखापरीक्षा द्वारा समय सीमा की गणना अगस्त 2008 से की गई है।

<sup>6</sup> डीएमएसपीएल ने एक याचिका दायर की थी जिसमें तर्क दिया गया था कि खनन पट्टे (एनएमडीसी के आवेदन) के नवीकरण के साथ संलग्न स्कैच में उनके खनन पट्टे के 47 एकड़ के क्षेत्र को विवादित किया गया था तथा एनएमडीसी के खनन क्षेत्र में 188 एकड़ स्वतन्त्र क्षेत्र में शामिल हो गया था।

तालिका 2: काम वार पूर्ण होने की अनुसूची एवं वास्तविक पूर्णता

क्रियाकलाप	समय सीमा (महीनों में)	कब तक पूरी की जानी थी	पूरा होने की वास्तविक तिथि	महीनों में विलम्ब (मार्च 2012 तक)
ठेके दिए जाना	12	जुलाई 2009	पैकेज 1 -अगस्त 2010 पैकेज 2-अप्रैल 2011 पैकेज 3-नवम्बर 2010 पैकेज 5-ए- जुलाई 2011 पैकेज 5-बी- फरवरी 2012 पैकेज 5-सी-मार्च 2012 पैकेज 4 तथा 6- अभी तक दिए ही नहीं गए	13 महीने 21 महीने 16 महीने 24 महीने 31 महीने 32 महीने 32 महीनों से अधिक
परियोजना के पैकेजों का कार्यान्वयन	21	अप्रैल 2011	पैकेज अभी तक कार्यान्वयन अधीन हैं	11 महीने
निष्पादन गारन्टी जांच	6	अक्टूबर 2011	क्योंकि पैकेज अभी तक कार्यान्वयन अधीन हैं, अभी तक कोई पीजी जांच पूरी नहीं की गई।	5 महीने

2.20 परियोजना के क्रियान्वयन में पहले ही देर हो चुकी है क्योंकि इसकी जनवरी 2013 में अर्थात् पूरा करने की अपेक्षित तिथि से 15 महीनों की देरी से ही पूरा होने की आशा है। क्रियान्वयन सम्बन्धी विशिष्ट मामलों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

### ठेका दिया जाना

2.21 पूरी परियोजना के कार्य को छः पैकेजों में बांटा गया है। मेकॉन को विनिर्दिशन करने, निविदा दस्तावेजों को पूरा करने तथा ठेके देने की प्रक्रिया को 12 महीनों में अर्थात् जुलाई 2009 तक पूरा करना था। तथापि, सभी छः पैकेजों में ठेका देने में विलम्ब हुआ था। मार्च 2012 तक चार पैकेजों में ठेके दिए जा सके थे जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 3: पैकेजवार ठेके देने में विलम्ब

पैकेज संख्या तथा क्रिया	पहली बार निविदा की गई	ठेका दिया गया	जुलाई 2009 तक हुई देरी (महीनों में)
1. क्रशिंग प्लान्ट	अगस्त 2007	अगस्त 2010	13
2. डाऊन हिल कन्वेयर	जनवरी 2010	अप्रैल 2011	21
3. बिजली के काम	अप्रैल 2008	नवम्बर 2010	16
5-ए जल आपूर्ति सहित सिविल एवं ढांचागत निर्माण	जनवरी 2011	जुलाई 2011	24
5-बी सेवा केन्द्र	मई 2011	फरवरी 2012	31
5-सी बिजली उन्नयनी परिवहन क्रेन	जुलाई 2011	मार्च 2012	32



पैकेजों की जारी करने में हुए विलम्ब के कारणों का विश्लेषण आगे किया गया है।

## पैकेज 1 क्रशिंग प्लान्ट

2.22 खान के विकास के लिए क्रशिंग प्लान्ट को पैकेज का बहुत महत्व है। पैकेज के लिए ज्ञापन आमन्त्रण निविदा (एनआईटी) अगस्त 2007 में जारी की गई थी तथा पुन निविदाकरण के उपरान्त ठेका आखिरकार अगस्त 2010 में दे दिया गया था। इस बारे में हमने निम्नवत पाया:

- मेकॉन ने निविदा के मसौदे के दस्तावेज दिसम्बर 2006 में कम्पनी को सौंपे। तथापि ये दस्तावेज अपूर्ण थे। मेकान ने निविदा दस्तावेज एक साथ प्रस्तुत नहीं किए। इसने जनवरी 2007 में पूर्वयोग्यता मापदण्ड (पीक्यू) तथा वाणिज्यिक (भुगतान) शर्तें अप्रैल 2007 तथा लागत अनुमान मई 2007 में प्रस्तुत किए। इसप्रकार, मेकॉन ने निविदा दस्तावेजों की तैयारी में असमान्य रूप से अधिक समय लिया।
- कम्पनी ने दिसम्बर 2006 में मिट्टी की जाँच करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की तथा उसे सितम्बर 2007 में करवा ही लिया। परिणामस्वरूप मिट्टी खुदाई के कार्य के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली<sup>7</sup> में परिवर्तन हुए। इसके कारण निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तिथि 7 जनवरी 2008 तक बढ़ाई गई।
- क्योंकि मेकॉन द्वारा क्रशिंग प्लांट "एरिया लेआउट" योजना में परिवर्तन आवश्यक थे, प्रस्तुत किए जाने की तिथि को फिर से 7 जनवरी 2008 से आगे तक बढ़ाना पड़ा। मेकान ने अन्तिम "एरिया लेआउट" योजना मार्च 2008 में प्रस्तुत की और कम्पनी ने उसे 17 मार्च 2008 को अनुमोदित किया।
- इसके बाद ही बोली लगाने वाले (7 जनवरी 2008 को केवल दो ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आगे आए थे) अपनी निविदा प्रस्तुत कर पाए। परन्तु कम्पनी ने अनुमोदित मेकर्स में एफएल स्मिडथ मेक क्रशर (जोकि मौलिक निविदा में शामिल नहीं था) शामिल करने का निर्णय किया। यह निर्णय उस समिति<sup>8</sup> की सिफारिश पर आधारित था जो टाटा स्ताल की जोदा खानों को देख कर आई थीं जहाँ यह मेक लगा हुआ था। क्योंकि निविदा प्रक्रिया चल रही थी अन्तिम चरण में एक और मेक को शामिल करने का कोई बड़ा औचित्य नहीं था विशेष तौर पर जब कम्पनी के अभिलेखों में इस मेक को शामिल करने का कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था। इससे मई 2008 में मौलिक निविदाएं निरस्त करना आवश्यक हो गया।

<sup>7</sup> आरम्भिक निविदा में भूमि सुरक्षा के लिए केवल मजबूत मिट्टी धारण करने वाली भित्तियों/मिट्टी की जकड़न को ही आधार बनाया गया था। मिट्टी की जांच के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया था कि निविदाकर्ताओं को यह विकल्प दिया जाए कि वे उन्हें परियोजना के लिए उचित लगने वाले लागत प्रभाव वाले तरीके अपना सकें। इसके कारण खुदाई के लिए निविदा विनिर्देशनों में परिवर्तन हुआ तथा अधिक समय प्रदान करना पड़ा।

<sup>8</sup> समिति में एनएमडीसी तथा मेकान की सदस्य शामिल थीं।

- बाद में जून 2008 में कम्पनी ने एरिया लेआउट योजना में कुछ और परिवर्तन करने को कहा। कम्पनी को मार्च 2008 में योजना का अनुमोदन करते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए था। कम्पनी के निष्कर्षों के आधार पर मेकान ने निविदा दस्तावेजों में संशोधन किया तथा उन्हें जनवरी 2009 में कम्पनी को प्रस्तुत किया। विलम्ब के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं।
- निविदा को 19 मार्च 2009 की देय तिथि जो 20 अप्रैल 2009 तक बढ़ा दी गई थी वाली नई एनआईटी जनवरी 2009 में प्रकाशित की गई थी। पांच बोलीदाताओं ने प्रतिभागिता की परन्तु उनमें से केवल दो ही तकनीकी रूप से सही पाए गए थे। वे दोनों भी, हालांकि पीक्यू के मापदण्ड<sup>9</sup> पूरे नहीं कर पाए तथा इसलिए अगस्त 2009 में निविदा परित्यक्त कर दी गई।
- पीक्यू मापदण्डों में ढील देकर अक्टूबर 2009 में पुर्ननिविदाकरण किया गया। हालांकि निविदाएं नवम्बर 2009 में प्राप्त हुई थीं मूल्यांकन तथा सहमति पाने में कम्पनी द्वारा ढीली प्रक्रिया अपनाने के कारण काम को देने में विलम्ब हुआ जोकि आखिरकार अगस्त 2010 में कम निविदाकर्ता एफएल स्मिडथ मिनलर्स प्राइवेट लिमिटेड, को दे दिया गया।

2.23 इस प्रकार पैकेज - 1 के काम को दिए जाने में विलम्ब मेकॉन द्वारा निविदा दस्तावेजों को तैयार करने, कम्पनी द्वारा मेकॉन को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब करने तथा कम्पनी द्वारा निविदा शर्तों में लगातार परिवर्तन करने के कारण हुआ। हालांकि यह सच है कि पेड़ काटने की सहमति के बिना काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए था, यह भी सच है कि टेका अगस्त 2010 में जाकर दिया गया जबकि पेड़ काटने की अनुमति फरवरी 2009 में मिल चुकी थी।

2.24 मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि पैकेज-1 को अन्तिम रूप दिए जाने में लिया गया समय (बोली प्राप्त होने से कुल मिलकर 9 1/2 महीने) अक्टूबर 2009 में संशोधित निविदाएं जारी करने तथा अगस्त 2010 में काम दिए जाने के मद्देनजर औचित्यहीन नहीं था। तथ्य यही है कि कम्पनी ने प्रक्रिया अगस्त 2007 में आरम्भ कर दी थी तथा कार्य अगस्त 2010 में जाकर दिया गया था। कम्पनी ने आबंटन को अन्तिम रूप देने में 37 महीने लगा दिए।

<sup>9</sup> पीक्यू मापदण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल था कि (i) निविदाकर्ता/सहयोगी इंजीनियर हो तथा उन्होंने विगत दस वर्षों में गार्डेटोरी क्रशर के साथ कम से कम एक क्रशिंग प्लांट बनाया हो। क्योंकि एलएण्डटी ने ग्यारह वर्ष पहले क्रशर की आपूर्ति की थी, पीक्यू को 15 वर्षों के लिए संशोधित की गई थी। (ii) दूसरा पीक्यू था कि वे टेके के निष्पादन के लिए संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे जिसके लिए उनके द्वारा अपने हिस्से के लिए बीजी के रूप में कम्पनी को आवश्यक गारंटी दी जायेगी। एफएल स्मिडथ इस मापदण्ड के लिए तैयार नहीं हुए तथा सूचना दी कि एफएल स्मिडथ द्वारा दी जाने वाली बीजी के अलावा वे अतिरिक्त बीजी भी देंगे जोकि अन्यथा उनके सहयोगी एफएल स्मिडथ सी एन्ट्री द्वारा दी जानी थी। निविदा निबन्धनों में ढील दी गई थी तथा दोनो बीजीज एफएल केवल स्मिडथ द्वारा दी गई थीं।

## पैकेज 2: डाउनहिल कनवेयर

2.25 पैकेज 2 के सम्बन्ध में हमने पाया कि:

- 2003 में प्रारम्भिक योजना के अनुसार डाउनहिल कनवेयर को कुमारास्वामी आयरन प्रोजेक्ट हिल टाप से डोनीमलाई स्क्रीनिंग प्लांट तक बढ़ाया जाना था। तथापि, दिसम्बर 2008 में कम्पनी ने नये स्क्रीनिंग प्लांट अवस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए डाउनहिल कनवेयर को छोटा करने और वर्तमान डोनीमलाई स्क्रीनिंग प्लांट से एक अन्य कनवेयर जोड़ने का निर्णय लिया।
- क्या योजना वर्तमान डोनीमलाई स्क्रीनिंग प्लांट उपयोग किया जाए अथवा एक नये को प्रतिष्ठापित किया जाए के सम्बन्ध में योजना अप्रैल 2003 में डीपीआर चरण में बनायी जानी चाहिए। फिर भी जुलाई 2006 में परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेना सम्भव नहीं था। तथापि, एक अन्य कनवेयर प्लांट को बढ़ाने का निर्णय दिसम्बर 2008 तक विलम्बित हुआ था।
- दिसम्बर 2008 में स्क्रीनिंग प्लांट के सम्बन्ध में निर्णय लेने के बाद मेकॉन ने अगस्त 2009 में निविदा प्रलेखों के प्रथम मसौदा प्रस्तुत करने में आठ महीने लिया। अंतिम मसौदा दिसम्बर 2009 में कम्पनी द्वारा अनुमोदित किया गया था और एनआईटी जनवरी 2010 में जारी किया गया था। निविदायें अप्रैल 2010 में खोली गई थीं किन्तु कम्पनी एवं मेकॉन ने ठेका देने में एक वर्ष का समय लिया। बोली मूल्यांकन कीमत तय करने और बोर्ड अनुमोदन के लिए यथेष्ट समय लिया गया था। अंततः 21 महीनों के समापन समय के साथ अप्रैल 2011 में इलेकान को ठेका दिया गया था। इसमें परियोजना का कुप्रबंधन पुनः प्रदर्शित होता है।

2.26 मंत्रालय ने निविदा देने के कार्यकलाप में विलम्ब का कारण भारत माइन्स एंड मिनरल्स जिसके माध्यम से भूमि कनवेयर कोरिडर गुजरना था, के साथ भूमि करार को अंतिम रूप देने को बताया था। यह करार अगस्त 2009 में अंतिम रूप दिया गया था। प्रक्रियाकरण में परिवर्ती विलम्ब का कारण बोलीदाता के विदेशी सहयोगियों के साथ बोली मूल्यांकन/चर्चा में लिए गए समय को बताया।

## पैकेज 3: विद्युत कार्य

2.27 पैकेज 3 के सम्बन्ध में हमने पाया कि विद्युत कार्य पैकेज I और II के लिए किया जाना मुख्यतः अपेक्षित थे। चूँकि इन पैकेज के लिए कार्य प्रदान करना विलम्बित हुआ था इसलिए कम्पनी ने मार्च 2008 में पहल की गई ठेका कार्यविधि को परित्यक्त किया और अप्रैल 2010 में कार्य की पुनः निविदा दी। ठेका 15 महीनों के समापन समय के साथ नवम्बर 2010 में प्रदान किया गया था।

## पैकेज 4: दूरसंचार कार्य

2.28 पैकेज 4 के सम्बन्ध में हमने पाया कि यद्यपि निविदा प्रलेख जुलाई 2008 में तैयार किए गए थे फिर भी निविदा प्रक्रिया प्रथम दो पैकेजों में विलम्ब के कारण नहीं की गई थी। कम्पनी ने समय बीतने के साथ निविदा लागत के संशोधन करने के लिए मेकॉन (मई 2011) से कहा। मेकॉन ने जुलाई 2011

में संशोधित निविदा प्रलेखों को प्रस्तुत किया और निविदाएँ अगस्त 2011 में आमंत्रित की गई थी। कार्य मई 2012 तक समापन होने वाला था। *मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि यह नौ महीनों का गैर महत्वपूर्ण पैकेज था और सफल बोलीदाता पैकेज। और II के अन्तर्गत सृजित सुविधाओं में कार्य करना होगा और अतएव तदनुसार इस पैकेज को प्रदान किया जाना विनियमित हो रहा था।*

### पैकेज 5: हिल टाप सुविधाएँ

2.29 पैकेज 5 के सम्बन्ध में हमने पाया कि एनआईटी मार्च 2008 में जारी किया गया था किन्तु निविदा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी इसलिए पैकेज को जुलाई 2008 में तीन सब-पैकेजों में विभाजित किया गया था। मेकॉन ने इन पैकेजों के लिए मसौदा निविदा प्रलेख को प्रस्तुत करने में अत्यधिक समय लिया। निविदा प्रलेख जून 2010 और अक्टूबर 2010 के बीच प्रस्तुत किए गए थे। मेकॉन की ओर से असामान्य विलम्ब के अलावा कम्पनी ने निविदा प्रलेख के अनुमोदन में छः से आठ महीनों तक विलम्ब भी किया। सब पैकेज के लिए एनआईटी जनवरी 2011 से जुलाई 2011 तक के दौरान जारी किया गया था। कार्य प्रदान की प्रक्रिया में विलम्ब के लिए कोई औचित्य नहीं था। जल आपूर्ति सब पैकेज जुलाई 2011 में प्रदान किया गया था और कार्य प्रगति पर है। सेवा केन्द्र पैकेज और क्रेन पैकेज क्रमशः फरवरी और मार्च 2012 में प्रदान किए थे।

### पैकेज 6: पहुँच मार्ग

2.30 पैकेज 6 के सम्बन्ध में हमने पाया कि मेकॉन ने नवम्बर 2010 में मसौदा निविदा प्रलेख प्रस्तुत किए। कम्पनी ने निविदा प्रलेखों की रिडिजाइन और संशोधन करने के लिए मेकॉन से कहा (दिसम्बर 2010) क्योंकि डिजाइन पारामीटर के लिए आधार को गलत रूप से विचार किया गया था। कम्पनी द्वारा भूमि जाँच रिपोर्ट को मार्च 2011 में मेकॉन को अग्रेषित किया गया था। संशोधित प्रलेख अगस्त 2011 में मेकॉन से प्राप्त हुए थे। मेकॉन द्वारा निविदा खोलने की नवम्बर 2011 की नियत तारीख के साथ निविदा आमंत्रित की गई थी। एनएमडीसी में तकनीकी वाणिज्यिक संवीक्षा चल रही है और ठेका का प्रदान किया जाना मई 2012 तक पूरा होने की सम्भावना है।

2.31 *मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि पैकेज 5 एवं 6 परियोजना के चालू होने से सीधे सम्बन्धित नहीं है और पैकेज 6 के लिए कार्य प्रदान करना अंतिम चरण में है और शीघ्र ही प्रदान किए जाने की सम्भावना है।*

2.32 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है, ठेकों का प्रदान किया जाना, जो ठेके जुलाई 2009 अर्थात् वन विभाग के साथ करार हस्ताक्षर की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरे होने वाले थे, 13 महीनों से 32 महीनों के विलम्ब के बाद चार पैकेजों के मामले में वास्तविक रूप से पूरे हुए थे। अन्य दो पैकेजों के सम्बन्ध में ठेके मार्च 2012 तक प्रदान किए जाने थे।

### पैकेजों का कार्यान्वयन

2.33 पैकेजों का क्रियान्वयन ठेका प्रदान किए जाने से 21 महीनों के भीतर पूरा होना था। पैकेजों के कार्यान्वयन में प्रगति के ब्यौरा नीचे दिया जाता है:

तालिका 4: पैकेज जिसके सम्बन्ध में कार्य प्रदान किए गए हैं, दर्शाने वाली तालिका  
(31 मार्च 2012 तक)

पैकेज	1	2	3	5ए	5बी	5सी
कार्य प्रदान करने की तारीख	अगस्त 2010	अप्रैल 2011	नवम्बर 2010	जुलाई 2011	फरवरी 2012	मार्च 2012
ठेके के अनुसार समापन की प्रक्षेपित तारीख	मई 2012 [आपूर्तिकार द्वारा जून 2013 तक समय विस्तार की माँग की गई थी]	जनवरी 2013	फरवरी 2012 [नवम्बर 2012 तक समय विस्तार प्रदान किया गया था]	अप्रैल 2012	नवम्बर 2012	जनवरी 2013
वर्तमान प्रास्थिति	डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग पूरी हुई। सिविल कार्य चालू। आयातित उपस्कर निरीक्षण पूर्ण किए गए और आपूर्ति चालू प्रत्यक्ष प्रगति 54%	डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग उन्नत है। उत्खनन एवं सड़क कार्य प्रगति पर है। प्रत्यक्ष प्रगति 26%	पूरी हुई डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग। प्रमुख उपस्कर निरीक्षण एवं प्रेषण प्रगति पर है प्रत्यक्ष प्रगति 59%	मार्च 2012 में प्रदान किए गए सेवा केन्द्र पैकेज और केन पैकेज		

2.34 कार्य प्रगति पर है और पैकेज 1, 2 एवं 3 के कार्यन्वयन की गति को देखते हुए जनवरी 2013 तक निर्धारित समापन की सम्भावना बहुत कम प्रतीत होती है। पैकेज 1 एवं 3 का कार्यान्वयन निर्धारित समापन के बाद विलम्बित हो रहा है और निम्नलिखित कारण है:

एनएमडीसी ने 2003 में 11बी डिपोजिट के विकास का निर्णय लिया। इस परियोजना में 7 एमटीपीए की क्षमता संवर्धन की प्रत्याशा थी जो मार्च 2012 तक के कार्यान्वयन के अन्तर्गत अभी है।

\*\*\*

छत्तीसगढ़ में 11बी डिपोजिट प्रोजेक्ट में विलम्ब ध्यान में आये थे। ₹ 295.89 करोड़ की परियोजना लागत 3 एमटीपीए से 7 एमटीपीए (₹ 139.17 करोड़) की क्षमता वृद्धि और सामान्य कीमत वृद्धि (₹ 172.11 करोड़) के संशोधन के कारण ₹ 607.17 करोड़ तक बढ़ गई थी।

\*\*\*

अक्टूबर 2008 तक पूरी होनी बतायी गई थी, 11बी डिपोजिट प्रोजेक्ट विकास के लिए ठेका प्रदान करने और बाह्य बाधाओं के कारण नियंत्रणीय विलम्ब के कारण अभी चालू है।

- पैकेज 1: यद्यपि कार्य प्रदान करने की तारीख 30 अगस्त 2010 थी फिर भी वाणिज्यिक मुद्दों पर स्पष्टीकरण दो महीनों की अवधि के बाद 14 अक्टूबर 2010 को कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। चूँकि विचलन निविदा प्रलेखों में दर्शाये गये की तुलना में वास्तव में भूमि दशा पर ध्यान में आए थे (मार्च 2011) इसलिए अगस्त 2011 में मेकॉन, एफएल स्मिथ और कम्पनी के साथ बैठक में अंतिम निर्णय लिया गया था। दिसम्बर 2011 में, प्राइमरी क्रशिंग हाउस (पीसीएच) भवन/डम्पर प्लेट फार्म के आधार एवं योजना की डिज़ाइन पारामीटर अवरूद्ध हो गये थे। इसके परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर सामग्री आयोजना, खरीद और निर्माण कार्यकलाप के परवर्ती कार्यकलापों में विलम्ब हुआ। एफएल स्मिथ ने पीजी परीक्षण के समापन के लिए जून 2013 तक समय विस्तार के लिए अनुरोध किया।

- पैकेज 3: मेकॉन द्वारा प्रस्तावित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सिविल एवं संरचनात्मक आरेखणों में परिवर्तन करने के कारण आरेखणों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ। एनएमडीसी/मेकॉन द्वारा इस्पात की खरीद के लिए विक्रेताओं को अंतिम रूप देते समय छः महीनों (सितम्बर 2011 से फरवरी 2012) का समय बीत गया था। इसके अतिरिक्त ठेकेदार के अनुसार अगस्त 2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खनन कार्यकलापों के प्रतिबंध के परिणामस्वरूप बालू, जेली इत्यादि की खरीद में कठिनाइयाँ हुईं। उसे सुदूर स्थानों से परिवहन किया गया था और इसमें कार्यस्थल पर प्रगति प्रभावित हुई।

### परियोजना को चालू करने में विलम्ब का प्रभाव

2.35 कुमारास्वामी परियोजना के समापन में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 296.03 करोड़ (अप्रैल 2003) से ₹ 898.55 करोड़ (दिसम्बर 2010) तक की परियोजना लागत में संशोधन हुआ जिसका कारण 3 एमटीपीए से 7 एमटीपीए तक क्षमता में संशोधन और अतिरिक्त सुविधाओं (₹ 320.00 करोड़) के सृजन और सामान्य कीमत वृद्धि (₹ 282.52 करोड़) थी। विलम्ब और कीमत वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि का कारण सांविधिक अनुमतियाँ प्राप्त करने में विलम्ब और कम्पनी का खराब परियोजना प्रबन्धन था। परियोजना जनवरी 2013 तक पूरा होने के लिए निर्धारित की गई थी।

### 11 बी डिपोजिट

2.36 कम्पनी ने माँग और बैलाडिला क्षेत्र से 2006-07 तक 7.80 मि.ट की लौह अयस्क की आपूर्ति की कमी का निर्धारण किया था (जनवरी 2003)। अतएव, बोर्ड ने छत्तीसगढ़ में बैलाडिला में 11 बी डिपोजिट के विकास करने और लौह अयस्क की अनुमानित कमी को पूरी करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का सिद्धान्ततः अनुमोदन किया (जनवरी 2003)। बोर्ड ने डीपीआर तैयार करने, सांविधिक अनुमतियों और पूर्व निर्माण कार्यों के लिए ₹ 15.57 करोड़ के प्राक्कलित व्यय का अनुमोदन किया (मार्च 2004)। बाजार की तेजी का लाभ उठाते हुए बोर्ड ने परियोजना के समापन के लिए निर्धारित 49 महीनों में से 10 महीनों का समय बचत करने के लिए डीपीआर तैयारी के समानान्तर पूर्व-निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए निर्देश दिया। कम्पनी ने कम्पनी के विभिन्न विभागों से कर्मचारियों द्वारा अक्टूबर 2003 में डीपीआर बनाने के लिए पहल भी की और जुलाई 2004 में रिपोर्ट तैयार की। वर्तमान अवसंरचना जैसे स्त्रीनिंग प्लांट, टेरटियरी क्रशिंग प्लांट, लोडिंग प्लांट, प्रशासनिक स्थापना और अन्य सुविधाओं का उपयोग कर 3.0 एमटीपीए की क्षमता के साथ 11 बी डिपोजिट के विकास का प्रस्ताव किया जिससे समग्र पूँजी निवेश और परियोजना की प्रचालन लागत में कमी आई जिससे अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा होगी।

### सांविधिक अनुमतियों की प्राप्ति

2.37 ₹ 295.89 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर 11बी डिपोजिट के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन (जनवरी 2005) बोर्ड द्वारा किया गया था। परियोजना लागत ₹ 468 करोड़ तक (जनवरी 2008) और बाद में ₹ 607.17 करोड़ तक संशोधित (मई 2008) की गई थी। परियोजना लागत में वृद्धि 3 एमटीपीए से 7 एमटीपीए (₹ 139.17 करोड़) तक डिजाइन क्षमता में

वृद्धि और कीमतों में वृद्धि (₹ 172.11 करोड़) हुई थी। परियोजना को लेने में समय अंतराल निम्नलिखित के कारण था।

- यद्यपि बोर्ड ने जनवरी 2003 में परियोजना सिद्धान्ततः अनुमोदन किया फिर भी कम्पनी ने मात्र दिसम्बर 2003 में वन अनुमति के लिए आवेदन किया और वह जनवरी 2005 में प्राप्त हुई थी। बेहतर आयोजना एवं प्रबन्धन के साथ वन अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में 10 महीनों की अवधि में कमी लायी जा सकी थी।

कम्पनी ने राज्य सरकार के पास मई 2004 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन किया और वह नवम्बर 2005 में प्राप्त हुआ था। तदनुपरान्त इसने एमओईएफ से पर्यावरणीय अनुमति (ईसी) के लिए आवेदन किया (दिसम्बर 2005) जो सितम्बर 2006 में प्राप्त हुई थी।

### परामर्शदाता की नियुक्ति

2.38 आमंत्रित (मार्च 2005) सीमित निविदा पूछताछ के प्रति मेकॉन को इंजीनियरिंग ठेका खरीद सेवाओं, परियोजना प्रबन्धन और निर्माण प्रबन्धन सेवाओं के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया गया (जुलाई 2005)।

### परियोजना का कार्यान्वयन

2.39 पीईआरटी चार्ट के अनुसार, परियोजना का प्रारंभ जुलाई 2005 से और समाप्ति अक्टूबर 2008 तक निर्धारित की गई थी। इसे संशोधित कर क्रमशः जनवरी 2007 और सितम्बर 2011 कर दिया गया था। प्रारंभिक पीईआरटी चार्ट के संदर्भ में, गतिविधियों, समयसीमा और प्रगति की स्थिति नीचे दी गई है:

**तालिका 5: 11 बी डिपोज़िट के संबंध में मील के पत्थर और उपलब्धियों को दर्शाती तालिका**

गतिविधि	समयसीमा (महीनों में)	तक पूर्ण की जानी थी	पूर्णता की वास्तविक तिथि	माह में विलम्ब (मार्च 2012 तक)
अधिप्राप्ति (निविदा देना)	12 <sup>10</sup>	जुलाई 2006	3 मुख्य पैकेज-अगस्त 2007 अन्य- जुलाई 2011	मुख्य पैकेज-13 माह अन्य-60 माह
परियोजना के पैकेज का प्रारंभ	21	अप्रैल 2008	पैकेज अभी भी कार्यान्वयन के अन्तर्गत हैं।	47 माह
निष्पादन गारंटी जाँच	6	अक्टूबर 2008	चूंकि पैकेज अभी तक कार्यान्वयन के अन्तर्गत हैं अभी तक कोई पीजी जाँच पूरी नहीं की गई है।	41 माह

2.40 परियोजना का कार्यान्वयन पहले से ही कम से कम 41 माह (मार्च 2012) तक लम्बित हैं। परियोजना नवम्बर 2012 अर्थात् 49 माह के विलम्ब के बाद पूरा होने की संभावना है। जबकि विलम्ब के

<sup>10</sup> बोर्ड ने निर्माण कार्य पूर्व निविदा देने के लिए के लिए 12 माह की समय सीमा प्रस्तावित की थी। (मार्च 2004) पैकेज 1 के लिए पीईआरटी चार्ट में भी निर्माण कार्य पूर्व गतिविधियों के लिए 12 माह प्रदान किए गए थे।

लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की देर से प्राप्ति का कारण माना जा सकता है, हमने पाया कि कार्यान्वयन में विलम्ब नियोजन में कमी और अव्यवास्थित परियोजना प्रबन्धन के कारण भी थे और यह विलम्ब काफी हद तक नियंत्रित किए जा सकते थे। विलम्बों के लिए बाहरी दबाव भी उत्तरदायी थे। कार्यान्वयन में सम्मिलित विशिष्ट मुद्दों की चर्चा नीचे की गई हैं।

## निविदा देना

2.41 कुल परियोजना कार्य को सात पैकेजों में विभाजित किया गया। मेकॉन को विशिष्टताओं, निविदा दस्तावेजों को अन्तिम रूप देने और 12 माह अर्थात् जुलाई 2006 के भीतर देने के प्रक्रिया को पूरा करना अपेक्षित था। तथापि, सभी सात पैकेजों में निविदा देने में विलम्ब थे। मार्च 2012 तक, सभी पैकेजों के संबंध में निविदा पूरी तरह से दे दी गई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। विलम्ब नवम्बर 2006 अर्थात् पर्यावरणीय मंजूरी की प्राप्ति के दो माह बाद के संदर्भ में निकाला गया है। क्योंकि कम्पनी ने जुलाई 2005 में ही सलाहकार की नियुक्ति की थी, निविदाकरण को पूरा किया जा सकता था और ईसी की प्राप्ति के तुरन्त बाद तैयार रखे गए आदेश जारी किए जा सकते थे।

### तालिका 6: 11 बी डिपोज़िट के लिए निविदा देने में विलम्ब दर्शाती तालिका

पैकेज सं.	गतिविधि	पहली निविदा का आमंत्रण	निविदा देना	नवम्बर 2006 के संदर्भ के साथ विलम्ब (माह में)	ठेकेदार का नाम
1	क्रशिंग संयंत्र एवं स्टेकिंग भाग	नवम्बर 2006	अगस्त 2007	9	टीआरएफ लिमिटेड
2	डाउनहिल कनवेयर	नवम्बर 2006	मई 2007	6	सेंडविक एशिया लिमिटेड
3	अर्थवर्क और स्थल तैयारी	फरवरी 2006	दिसम्बर 2006	1	रतना कन्सट्रक्शन्स
4	इलैक्ट्रिकल सब-स्टेशन और पावर वितरण प्रणाली	अगस्त 2007	मार्च 2008	16	सीमन्स लिमिटेड
5ए	पानी की सप्लाई, रिज़रवायर और पाइपिंग इत्यादि	अगस्त 2009*	जून 2010 नवम्बर 2010	43 48	स्थानीय ठेकेदार
5बी	सर्विस सेंटर भवन इत्यादि	फरवरी 2010	नवम्बर 2010	48	बीसीसी इन्फ्राकोन
5सी	इलैक्ट्रिकल मर्दे (ट्रांसफार्मर, वायरिंग, पैनल इत्यादि)	मई 2010	फरवरी 2011	51	ललिता इंजीनियरिंग
5डी	क्रेनों की पूर्ति और लगाना	जून 2010	जुलाई 2011	56	अल्फा सर्विसेज लिमिटेड
6	दूरसंचार प्रणाली	जुलाई 2008	अक्टूबर 2008	23	इन्फोनेट एशिया प्रा. लिमिटेड
7	अग्नि सुरक्षा प्रणाली	मई 2008	जनवरी 2010	38	न्यू फायर इंजीनियरस प्रा. लि.

\* किसी पार्टी ने भाग नहीं लिया और इसलिए कार्यक्षेत्र को (1) पाइपों और वाल्वस की विभागीय (एनडीएमसी) खरीद; (2) आरसीसी भूमिगत स्तर जल रिज़रवायर का निर्माण (विभाग द्वारा इस्पात और सीमेंट की पूर्ति के साथ); और (3) 11सी और 11बी से पानी की पाइप लाइन लगाने के रूप में और विभाजित कर दिया गया था।



2.42 ईसी की प्राप्ति की तिथि (सितम्बर 2006) को ध्यान में रखने के बाद भी सितम्बर 2007 तक निविदा देने की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी क्योंकि सलाहकार की नियुक्ति जुलाई 2005 में पहले ही कर ली गई थी। हमने पाया कि कम्पनी ने सितम्बर 2007 तक पहले तीन पैकेज दे दिए थे, पैकेज 4 और 6 अक्टूबर 2008 तक दिए गए थे। तथापि, पैकेज संख्या 5 और 7 बुरी तरह से विलम्बित थे जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है।

- चूंकि मेकॉन ने पैकेज सं.5 के लिए नवम्बर 2006 में ही निविदा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे, कम्पनी ने एक लम्बा समय ले कर इन दस्तावेजों का अनुमोदन जनवरी 2008 में किया। यह संरेखण में संशोधनों के कारण हुआ था। तथापि, कम्पनी समयसीमा निर्धारित कर और समयसीमा के अनुपालन का सख्ती से अनुपालन कर प्रक्रिया को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकती थी। इसके बाद, फरवरी 2008 में जारी निविदाओं को प्रतिक्रिया के अभाव में रद्द कर दिया गया था। बाद में कार्य को चार उप-पैकेजों में बांट दिया गया था (अगस्त 2008)। अव्यवास्थित प्रक्रिया के कारण इन्हें जुलाई 2001 तक ही दिया जा सका था। इससे कम्पनी के घटिया परियोजना प्रबन्धन का पता चलता है।
- जहाँ तक पैकेज सं.7 का संबंध है, निविदा दस्तावेजों को तैयार करने में विलम्ब था जिसे मेकॉन द्वारा फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया गया था। जबकि एनआईटी मई 2008 में जारी की गई थी निविदा के प्रक्रियाकरण और लागत आंकलनों के संशोधन के कारण निविदा देने की प्रक्रिया में जनवरी 2010 तक का विलम्ब था।

2.43 मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि दूरसंचार (पैकेज 6) और अग्नि का पता लगाने और अलार्म प्रणाली (पैकेज 7) के पैकेज संस्थापन से सीधे तौर से जुड़े हुए नहीं हैं। तथापि, यह पैकेज तब तक चलाए नहीं जा सकते थे जब तक पैकेज 1 और 2 के ठेकेदारों द्वारा अगला भाग उपलब्ध नहीं करवाया जाता। इन पैकेज को देने में माओवाही गतिविधियों के कारण विलम्ब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप बोलीदाताओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए कम्पनी ने वास्तविक पैकेजों को दर निविदा कार्यों में विभाजित किया। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि विलम्ब हुए थे किन्तु बताया कि सम्पूर्ण परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जबकि यह सच है कि कम्पनी ने बाहरी दबाव का सामना किया था, यह भी सच है कि उन गतिविधियों में विलम्ब हुए थे जोकि कम्पनी और सलाहकार के नियंत्रणाधीन थीं।

### पैकेजों का कार्यान्वयन

2.44 पैकेजों के कार्यान्वयन में प्रगति का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7: पैकेजों के कार्यान्वयन में प्रगति दर्शाती तालिका

पैकेज सं. और कार्य का विवरण	निविदा देने की तिथि	निविदा के अनुसार पीडीसी	% में प्रत्यक्ष प्रगति (मार्च 2012)	निविदा लागत (₹ करोड़ में)	भुगतान (₹ करोड़ में)
1. क्रशिंग संयंत्र एवं स्टैकिंग भाग	अगस्त 2007	मई 2009	70	115.19	83.18
2. डाउनहिल कन्वेयर	मई 2007	फरवरी 2009	75	115.71	82.32
3. अर्थवर्क और स्थल तैयारी	दिसम्बर 2006	नवम्बर 2007	96	75.29	73.12
4. इलैक्ट्रिकल सब-स्टेशन और पावर वितरण प्रणाली	मार्च 2008	मार्च 2009	91	10.99	7.98
5ए. पानी की सप्लाई, रिज़रवायर और पाइपिंग इत्यादि	नवम्बर 2010	मार्च 2011	86	1.41	0.63
5बी. सर्विस सेंटर भवन इत्यादि	नवम्बर 2010	नवम्बर 2011	58	17.33	4.48
5सी. इलैक्ट्रानिक मर्दे (ट्रांसफार्मर, वायरिंग, पैनल इत्यादि)	फरवरी 2011	फरवरी 2012	51	2.36	0.55
5डी. क्रेनों की पूर्ति और लगाना	जुलाई 2011	मई 2012	45	1.54	0
6. दूरसंचार प्रणाली	अक्टूबर 2008	अक्टूबर 2009	51	1.78	1.11
7. अग्नि सुरक्षा प्रणाली	जनवरी 2010	जनवरी 2012	68	7.36	4.76
<b>कुल</b>				<b>348.96<sup>†</sup></b>	<b>258.13</b>

<sup>†</sup> खनन उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 181.88 करोड़ सहित 11बी परियोजना की कुल लागत ₹ 607.17 करोड़ है, टाऊशिप/अतिरिक्त सुविधाओं के लिए ₹ 33 करोड़ और शेष सेवाओं/प्रशा. व्ययों/आकस्मिकों इत्यादि के लिए ; पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के लिए ₹ 23.55 करोड़, और शेष सेवाओं/प्रशा. खर्चों/आकस्मिकताओं आदि के लिए।

2.45 जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, पैकेज सं. 1,2,3,4 और 6 जोकि नवम्बर 2007 और अक्टूबर 2009 के बीच पूर्ण होने निर्धारित थे अभी तक (मार्च 2012) पूरे किए जाने हैं। विलम्बों से संबंधित मुख्य बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गई है:

- पैकेज संख्या 1 (क्रशिंग संयंत्र एवं स्टैकिंग भाग) विलम्बित थे क्योंकि मुख्य क्रशर के लिए स्थल जुलाई 2008 में ठेकेदार को सौंपा गया था। इस विलम्ब का कारण पैकेज सं. 3 के कार्यान्वयन में विलम्ब था (भूमि कार्य और स्थल तैयार करना)। इसके अतिरिक्त, कानून और व्यवस्था की मुश्किले और ठेकेदार की ओर से विलम्ब (टीआरएफ लिमिटेड) भी उत्तरदायी थे।
- पैकेज सं.2 (डाउनहिल कन्वेयर) भी विलम्बित था क्योंकि डाउनहिल कन्वेयर प्रणाली के लिए ठेकेदार को स्थल मई 2009 में ही सौंपा गया था। विलम्ब का कारण पैकेज सं.3 के कार्यान्वयन में विलम्ब था। इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता और ड्राइंग की प्रस्तुती/अनुमोदन में विलम्ब भी उत्तरदायी थे।
- पैकेज सं.3 (भूमि कार्य और स्थल तैयारी) का नवम्बर 2007 तक पूरा होना निर्धारित था, को अभी पूरा किया जाना था (मार्च 2012)। विलम्ब का कारण मुख्य रूप से आंकलित भूमिकार्य में वृद्धि

था, मृदा के शिलाखंड प्रकृति के होने से मृदा में मुश्किलें और ग्राउटड नेल के प्रारंभ होने के कारण थी।

- पैकेज सं.4 (इलैक्ट्रिकल उप स्टेशन और बिजली वितरण प्रणाली) में ठेकेदार द्वारा ड्राइंग की प्रस्तुती में विलम्ब और पैकेज 1 और 2 को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण भी विलम्ब थे।
- पैकेज सं.6 में विलम्ब हुआ था क्योंकि दूरसंचार प्रणाली के संसधापन के लिए अगला भाग तैयार नहीं था।

2.46 पैकेज 5 और 7 से संबंधित निर्माण कार्य देने में विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि पैकेज 5 और 7 के कार्यान्वयन में भी विलम्ब थे।

- पैकेज 5 के संबंध में इलैक्ट्रिकल कार्य विलम्बित थे क्योंकि स्थल इलैक्ट्रिकल कार्य के लिए तैयार नहीं थे और अधिकतर भवनों में सिविल निर्माण कार्य अभी तक निर्माणाधीन थे। क्रैने लगाने के लिए स्थल तैयार नहीं था। दमकल स्टेशन, सड़कों और नालों के संबंध में मेकॉन द्वारा ठेकेदार को अप्रैल 2012 तक भी अनुमोदित ड्राइंग प्रस्तुत नहीं की गई थी (कार्य दिया गया: नवम्बर 2010)।
- पैकेज 7 में विलम्ब हुआ था क्योंकि यांत्रिक कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका था क्योंकि ठेकेदार को कार्य के लिए अगला भाग उपलब्ध नहीं करवाया गया था, क्योंकि कन्वेयर कार्य प्रगति पर था। कन्वेयर के निर्माण की समाप्ति के बाद ही निर्माण कार्य की मंजूरी दी जा सकती थी।

2.47 मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि माओवादी गतिविधियों के कारण संसाधनों और श्रमशक्ति के आवागमन में समस्याओं के कारण पैकेज 1 और 2 के लिए ठेकेदार कम्पनी द्वारा स्वीकृत गति से परियोजना निष्पादन में असमर्थ थे। तथापि, बाहरी कारणों के अलावा, परियोजना प्रबन्धन में कमियाँ भी विलम्ब के लिए जिम्मेदार थी।

### परियोजना चालू करने में देरी का प्रभाव

2.48 11बी परियोजना की समाप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप परियोजना लागत में ₹ 295.89 करोड़ (जनवरी 2005) से ₹ 607.17 करोड़ (दिसम्बर 2010) का संशोधन हुआ जोकि 3 एमटीपीए से 7 एमटीपीए (₹ 139.17 करोड़) की क्षमता और सामान्य मूल्य वृद्धि (₹ 172.11 करोड़) में संशोधन के कारण हुई थी। अब परियोजना को नवम्बर 2012 तक पूरा किया जाना निर्धारित है, जिसकी संभावना बहुत कम प्रतीत होती है क्योंकि पैकेज 7 की पूर्णता तिथि जनवरी 2013 तक विस्तारित कर दी गई थी।

2.49 मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि विस्तृत ड्रिलिंग के कारण किरनदुल परियोजना में अतिरिक्त भंडार का पुनः पता लगने के कारण खान को नया जीवन मिला। इसके कारण लोजिस्टिक्स सहित परियोजना संयंत्र और उपकरण क्षमताओं पर पुनः विचार करना आवश्यक हो गया। मंत्रालय ने तर्क दिया कि 11बी केवल डिपोजिट 14 के लिए प्रतिस्थापन के रूप में परिकल्पित था और उसको उस खान के अलावा परिचालन में रखने का इरादा नहीं था।

2.50 निम्नलिखित के दृष्टिगत मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था:

किरान्दुल में अतिरिक्त भंडार की पुनः खोज के दृष्टिगत मंत्रालय का तर्क कि कम्पनी को परियोजना संयंत्र और उपकरण क्षमताओं और लोजिस्टिक्स पर पुनः विचार करना होगा, कम्पनी के रिकार्ड में नहीं पाया गया।

- कार्य निष्पादन के दौरान बाह्य दबावों के कारण विलम्ब हुए। तथापि प्रबन्धन द्वारा भी पैकेजों को सौंपने के लिए अन्तिम रूप देने और ठेका देने के बाद संरेखण को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुए।
- यदि यह भी स्वीकार किया जाए कि प्रबन्धन ने अतिरिक्त स्रोत पुनः खोज लिए थे तब भी प्रबन्धन खान के विकास को आगे बढ़ा सकता था और अपना उत्पादन बाज़ार परिस्थितियों के अनुसार नियमित कर सकता था।

2.51 मंत्रालय ने आगे बताया (जुलाई 2012) कि यद्यपि अलग से देखने पर मैकान के साथ परामर्श संविदा में उल्लिखित समय अनुसूची के साथ तुलना करने पर उक्त पैकेज कार्यों को देने में विलम्ब ध्यान में आता है परन्तु वास्तव में पैकेज कार्य की एक दूसरे पर निर्भरता को देखते हुए समग्र परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताई गई सुसंगत मुद्दों कम्पनी द्वारा नोट किया गया हैं और एनएमडीसी के निरन्तर सुधारात्मक प्रयासों के हिस्से के रूप में कार्यवाही की जाएगी।

2.52 कम्पनी ने सिफारिशें स्वीकार की। उन्होंने बताया (दिसम्बर 2010) कि परियोजना मण्डल की तीन शाखाओं अर्थात् इंजीनियरिंग, संविदा और परियोजना के अध्यक्ष के रूप में दो महाप्रबन्धक और उप महाप्रबन्धक तैनात किये गये थे। प्रत्येक परियोजना के लिए संयुक्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक के ग्रेड के अधिकारी परियोजना प्रबन्धक के रूप में नियुक्त किये गए हैं जिनकी योजना और कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग ढांचे के बीच समन्वय की सीधी जिम्मेवारी होगी। निदेशक (तकनीकी), अन्य निदेशक और सीएमडी सभी परियोजनाओं की मासिक समीक्षा करते हैं।

#### **सिफारिश # 2**

**कम्पनी को परियोजना के योजना निर्माण, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग पर ध्यान केंद्रित करके अपनी परियोजना प्रबन्धन क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में, कम्पनी को समय सीमा और सभी परियोजना कार्यकलापों के लिए मील का पत्थर निर्दिष्ट करने और लगातार मॉनीटरिंग और अपेक्षित उपचारात्मक कार्यवाही के माध्यम से कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।**